



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 352/अका./का.प./08

रायपुर, दिनांक 2/02/2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.01.2008 को पूर्वान्ह 11.30 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:—

01.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
02.	डॉ. ए. आर. चन्द्राकर, कुलाधिसचिव	सदस्य
03.	डॉ. गौरी शंकर	सदस्य
04.	डॉ. आर. पी. दास	सदस्य
05.	डॉ. उषा दुबे	सदस्य
06.	डॉ. एस.के. मिश्र	सदस्य
07.	डॉ. बी. एन. शर्मा	सदस्य
08.	प्रो. जयलक्ष्मी ठाकुर	सदस्य
09.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	सदस्य
10.	डॉ. एस. जे. केकरे	सदस्य
11.	डॉ. सुबीर मुखर्जी	सदस्य
12.	डॉ. जी. बी. गुप्ता	सदस्य
13.	प्रो. रामखिलावन गुप्ता	सदस्य
14.	श्री राहुल महावर	सदस्य
15.	डॉ. इंदु अनंत, कुलसचिव	सचिव

बैठक में उच्च शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि, श्री सतीष पाण्डे, उपसचिव वित्त, स्वामी निखिलानन्द जी अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गए:—

01. दिनांक 22-11-2007 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक की सम्पुष्टि करना,
दिनांक 24-12-2007 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक की सम्पुष्टि करना,
निर्णय : संपुष्टि की गई।
02. वार्षिक परीक्षा-2007 के मूल्यांकन केन्द्र के लिए गए अग्रिम का समायोजन पर विचार करना।

निर्णय : (1) शास. दू.ब. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को दिये गए अग्रिम के विरुद्ध किये गए व्यय रु. 16,49,835/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव को किये गए अग्रिम रु. 12,24,348/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

03. वार्षिक परीक्षा-2007 में परीक्षकों द्वारा मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका एवम् पर्ण/प्रतिपर्ण में पाई गई त्रुटि के संबंध में विचार करना,

निर्णय : निम्नलिखित शिक्षकों द्वारा पर्ण/प्रतिपर्ण में अंकों के भरने में की गई त्रुटियाँ घोर लापरवाही निरूपित करते हुए निम्नलिखित शिक्षकों को पाँच वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से वंचित किया गया :—

1. श्री सुबोध द्विवेदी – सहा. प्रा., वाणिज्य, शंकराचार्य महा., भिलाई
 2. श्री जी.सी. वैद – प्रा. वाणिज्य, शास. महा., धमतरी
 3. शिखा मढ़रिया, सहा.प्रा. रा.वि., द्वारा प्राचार्य शास.विज्ञान महिला महा. रायपुर
 4. श्री जे.पी. साव, प्रा. हिंदी, शास. कला/विज्ञान महा., दुर्ग
 5. कविता सिंह, सहा.प्रा., अर्थशास्त्र, शास. महा., दल्लीराजहरा
 6. डॉ. साधना रहटगाँवकर, सहा.प्रा., हिंदी, शास. महा., पाटन
 7. श्रीमती विद्या पंचागन, सहा.प्रा., समाजशास्त्र, शास. महा., उत्तर्फ
 8. प्रो. जे.पी. मिश्रा, प्राचार्य, कल्याण महा., भिलाई नगर
 9. श्री आर.के. अलेन्द्र, सहा.प्रा., समाजशास्त्र, शास.दिविजय महा., राजनांदगाँव
 10. प्रो. सुधाकर सिंह, वाराणसी
 11. प्रो. बी.पी.अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रो., टिल्लू चौक, लाखे नगर, रायपुर
 12. श्री एन.एस. पटेल, सहा.प्रा. इतिहास., कल्याण महा., भिलाई नगर
 13. श्री पी.एस. सोनसाठ, सहा.प्रा. अर्थशास्त्र, शास. महा., नगरी, सिहावा
 14. श्री सी. खलको, सहा.प्रा., शास. महा., महासमुंद
 15. डॉ. वंदना शर्मा, दिशा महा., शांती नगर, रायपुर
 16. डॉ. (श्रीमती) श्रीदेवी चौबे, प्रा. हिंदी, शास. स्नातको. महा., धमतरी
 17. श्री के.के. पटेल, प्रा. गणित, शास. महा., शंकर नगर, रायपुर
 18. श्री अमित बाजपेयी, सिविल लाईन, सेंट्रल बैंक के सामने, रायपुर
 19. डॉ. पुरुषोत्तम दास, एड्झोकेट, दुर्गा चौक, राजातालाब, रायपुर
 20. श्री ए.के. मिश्रा, कल्याण विधि महा., भिलाई नगर
 21. श्री समीर बाजपेयी, विधि विभाग, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर
04. डॉ. विद्याकान्त त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, जिला-जशपुर द्वारा उत्तर-पुरितिका के पैकेट गुम होने के प्रकरण पर विचार करना,

निर्णय : डॉ. विद्याकान्त त्रिपाठी को आजीवन परीक्षा कार्यों से वंचित किया गया ।

05. 115 Ph.D./D.Litt. शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद् में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत,

निर्णय : अनुमोदित किया गया ।

06. विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने के संबंध में विचार करना,

निर्णय : नियमानुसार विज्ञापन की कार्रवाई की जाय

07. जैविकी अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि को Rs. 4,000=00 से Rs. 10,000=00 करने पर विचार करना,

निर्णय : रु. 10,000/- का इम्प्रेस्ट स्वीकृत किया गया ।

08. डॉ. एच. व्ही. तिवारी, सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा न तो पुस्तकों वापस की गई और न ही राशि विश्वविद्यालय में जमा की गई, इस प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. एच. व्ही. तिवारी, से.नि. आचार्य एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स अ.शा. से राशि वसूली जाए।

09. श्री एन. के. दयाल, U.D.C.-II के प्रकरण पर विचार करना,

निर्णय : सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

10. कुल चार शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

11. वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2008-09 आय-व्यय पत्रक अनुमोदनार्थ।

निर्णय : वर्ष 2008-09 का आय-व्यय पत्रक के लिये कार्यपरिषद की 10-15 दिनों के पश्चात बैठक आयोजित किया जाय।

12. विद्या परिषद की बैठक दिनांक 07.01.2008 की कार्यवृत्त का अनुमोदन करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : अनुमोदन प्रदान किया गया। सेंट पेलोटी महाविद्यालय के संदर्भ में विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.01.2008 में लिये गए निर्णय निम्नानुसार अनुमोदित किये गए :-

1. सेंट विसेंट पेलोटी महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित होनेके बावजूद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने एवं गुमराह कर प्रवेश देने के कारण महाविद्यालय के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. विधिक सलाह लेकर दर्ज कराया जाए।

2. महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित होने के बावजूद प्रवेशित छात्रों को अमहाविद्यालयीन छात्र के रूप में वार्षिक परीक्षा 2008 में सम्मिलित होने की विशेष अनुमति दी जाए। ऐसे छात्र इन कक्षाओं के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए अन्य महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने की छूट प्रदान की गई।

3. बी.बी.ए. प्रथम सेमेस्टर के सेंट विसेंट पेलोटी महाविद्यालय के छात्र प्रवेश प्रतिबंध के बावजूद अनाधिकृत रूप से दिये प्रवेश के पठन-पाठन एवं परीक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय के प्रबंध संस्थान में की जाए। सेंट विसेंट पेलोटी महाविद्यालय को निर्देशित किया जाय कि इन छात्रों से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय के प्रबंध संस्थान को स्थानांतरित करें।

4. बी.सी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंध के बावजूद सेंट विसेंट पेलोटी महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों के पठन-पाठन की व्यवस्था विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर अध्ययनशाला में की जाए। महाविद्यालय को निर्देशित किया जाय कि इन छात्रों के समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर अध्ययनशाला में स्थानांतरित करें।

5. परिनियम-28 का पालन न करने के परिप्रेक्ष्य में सेंट विसेंट पेलोटी महाविद्यालय में आगामी सत्र 2008-09 में भी प्रवेश प्रतिबंध पूर्ववत रखा जाए।

13. व्यक्तिगत ऋण की राशि रु. 50,000/- से बढ़ाकर रु. 1,00,000/- करने पर

निर्णय : व्यक्तिगत ऋण की सीमा यथावत रखी जाए ।

14. नया परिनियम 1 (a) पर विचार करना ।

निर्णय : आगामी कार्यपरिषद की बैठक में विस्तृत प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाए ।

15. पूरक परीक्षा 2007 के लिए परीक्षा विभाग के कर्मचारियों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक रु. 82,444.60/- की कार्यतार स्वीकृति पर विचार करना ।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई ।

16. अनुवीक्षण समिति के सदस्यों को सीटिंग फीस के भुगतान के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई ।

17. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.04.2007 के पद कमांक 13 पर कु. शिखा विश्वकर्मा के संबंध में लिये गए निर्णय के अनुसार उन्हें जारी नोटिस का प्रतिउत्तर कु. शिखा विश्वकर्मा के स्थान पर उनके भाई श्री गौरव विश्वकर्मा द्वारा दिये गए उत्तर पर विचार करना ।

निर्णय : 1. कुमारी शिखा विश्वकर्मा के भाई श्री गौरव विश्वकर्मा द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब दिया जाए ।

2. कु. शिखा विश्वकर्मा का शोध-प्रबंध मूल्यांकन के लिए गोपनीय विभाग अग्रेषित किया जाए । गोपनीय विभाग को निर्देशित किया जाए, मूल्यांकन पश्चात भी कु. शिखा विश्वकर्मा द्वारा "बकाया नहीं प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने पर ही शोध-उपाधि की अधिसूचना जारी की जाए ।

18. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन से मिलने वाली खंड संधारण अनुदान के पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण समिति आमंत्रित किए जाने पर विचार करना ।

निर्णय : शासन को खंड संधारण अनुदान के पुनरीक्षण हेतु पत्र लिखा जाए ।

पूरक विषय सूची पर लिये गए निर्णय :-

01. जैविकी अध्ययनशाला के लिए Microbiolog & System एवं Accesesories के क्य हेतु माननीय कुलपति द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(4) में रु. 8,10,088/- की स्वीकृति दी गई है, की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई ।

02. आनंद महाविद्यालय, हीरापुर, रायपुर के विषय-सूची के अनुसार प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : आनंद महाविद्यालय, हीरापुर के प्रथम वर्ष में प्रवेश पूर्ववत प्रतिबंधित रखा जाए तथा परिनियम-27 के अनुसार संबद्धता समाप्त करने की कार्रवाई की जाए ।

03. छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय (महिला महाविद्यालय), सेक्टर-6, भिलाई (छ.ग.) के पत्र दिनांक 12.09.2007 के विषय—सूची अनुसार विचार किया गया ।

निर्णय : महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश प्रतिबंध पूर्ववत् रखा जाए । परिनियम-28 का पालन सुनिश्चित किये जाने के बाद प्रवेश प्रतिबंध के संबंध में निर्णय लिया जाए ।

04. महर्षि पातंजलि शिक्षण समिति द्वारा संचालित भिलाई कॉलेज ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी, के प्रकरण विधिक सलाह पर विचार करना ।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि संबद्धता समाप्ति हेतु परिनियम-27 के अंतर्गत कार्रवाई की जावे ।

05. दुर्गा शिक्षण समिति, रायपुर द्वारा संचालित विवेकानन्द महाविद्यालय के प्रकरण पर कार्यपरिषद द्वारा 22.11.2007 को लिये गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त विधिक सलाह पर विचार करना ।

निर्णय : विवेकानन्द महाविद्यालय के प्रकरण पर विधिक सलाह के अनुसार परिनियम-27 के अंतर्गत संबद्धता समाप्ति की कार्रवाई की जाए ।

06. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का वर्ष 2006-07 के लिए स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन का संज्ञान लेना । निराकरण के लिए कुलसचिव को अधिकृत किये जाने पर विचार करना ।

निर्णय : अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण का पहलू प्रशंसनीय है । शेष आपत्तियों के निराकरण के लिए कुलसचिव को अधिकृत किया गया ।

07. बरतर परिसर प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु चल देयक राशि 18,63,066/- भुगतान के संबंध में विचार करना ।

निर्णय : भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई ।

08. विद्या परिषद की स्थायी समिति की दिनांक 28.01.2008 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना ।

निर्णय : अनुमोदित किया गया । विद्या परिषद के स्थायी समिति के पद क्रमांक 9 पर सेंट विसेंट पेलोटी महाविद्यालय के संबंध में लिये गए निर्णय पद क्रमांक 12 के अनुसार अनुमोदित किया गया ।

09. निम्नलिखित अध्ययनशालाओं/गोपनीय विभाग के कम्प्यूटर से (डी.टी.पी.) के इम्प्रेस्ट राशि के वृद्धि के प्रकरण पर विचार करना ।

1.	अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	रु. 1500/- से बढ़ाकर	रु. 5000/-
2.	मानव विज्ञान अध्ययनशाला	रु. 3000/- से बढ़ाकर	रु. 10,000/-
3.	समाजशास्त्र अध्ययनशाला	रु. 1500/- से बढ़ाकर	रु. 4000/-
4.	गोपनीय विभाग के कम्प्यूटर सेल	रु. 2500/- से बढ़ाकर	रु. 10,000/-



निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई ।

19. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण ।

निर्णय : अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

निर्णय : (i) वार्षिक परीक्ष 2008 के लिए प्रस्तावित 112 परीक्षा केंद्र अनुमोदित किये गए । (सूची संलग्न है)

(ii) फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों के लिए परीक्षा केंद्र अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर एवं उनके शिक्षकों के परामर्श से मेडिकल कॉलेज रायपुर में रखा जाए । मेडिकल की अन्य परीक्षाओं के लिए भी यही निर्णय प्रभावशील किया जाए ।

2. विधि एवं अन्य अध्ययनशालाओं में जहाँ आवश्यक हो विजिटिंग प्रोफेसर एवं विजिटिंग फेलो की नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाए ।

3. विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित वकीलों को पैनल में रखने पर निर्णय लिया गया कि कुलपति से व्यक्तिगत मुलाकात के बाद अगली कार्यपरिषद में रखा जावे :-

(i) श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव (ii) श्री अमृत्योदास (iii) श्री उत्कर्ष वर्मा । (श्री एन.के. व्यास का अनुमोदन पूर्व के कार्यपरिषद में हो चुका है ।)

4. श्री जी.के. देशमुख, व्याख्याता, प्रबंध संस्थान पिछले तीन-चार माह से प्रबंध संस्थान में उपस्थित नहीं हो रहे हैं । इनकी अनुपरिथिति के प्रकरण पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि इन्हें पंजीकृत डाक से इनके निवास के पते एवं प्रबंध संस्थान के पते पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि इनकी अनाधिकृत अनुपरिथिति से छात्रों के अध्ययन में हो रही हानि छात्रहित में क्यों न इनकी सेवाएँ समाप्त की जाए । इन्हें 15 दिन की अवधि प्रबंध संस्थान में उपस्थित होने की दी जाए । यदि ये अवधि बीतने के बाद उपस्थित नहीं होते हैं, तो कठोरतम कार्रवाई की जाए ।

5. मेसर्स ईमामी ब्रदर्स से पूर्व टेण्डर के आधार पर उत्तर पुरितकाओं के लिए 22 टन कागज खरीदी के प्रकरण पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि 22 टन कागज खरीदी की अनुमति दी जाती है एवं व्यय स्वीकृत किया जाता है ।

6. पुराने वाहन की नीलामी के तीन बार टेण्डर होने के बावजूद "अपेक्षित" बोली नहीं आई है, इस पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के नियमों में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार विक्रय की कार्रवाई की जाय ।


7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा बी.एड. महाविद्यालयों के किये गए निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद 03 दिनों के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदन कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराएँ ।

8. सदस्यों ने कार्य परिषद की व्यवस्थित विषय—सूची प्रस्तुत किये जाने पर धन्यवाद दिया ।

9. अध्ययनशालाओं के कतिपय अध्यक्षों द्वारा छात्रों की उपस्थिति के लिए अध्यक्षों की बैठक में दिये गए निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई किये जाने के लिए कार्यपरिषद के संज्ञान में लाया गया ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई ।



कुलपति
अध्यक्ष



f D 201 -


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक ३५३ अका./का.प./2008

रायपुर, दिनांक २/०२/2008

प्रतिलिपि :

01. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
02. कार्यपरिषद के समर्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें ।
03. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
04. वित्ताधिकारी/आवारीय अंकेक्षण,
05. समर्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।



सहा. कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपालिका की बैठक दिनांक 30/1/2008 में अनुमोदित

मुख्य परीक्षा 2008 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची

परीक्षा केन्द्र का नाम	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
जिला - रायपुर	
विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं०र०शु०वि०वि०, रायपुर शास० छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, बैरनबाजार, रायपुर शास० डी०एस०व्ही० संस्कृत महा०, जी०ई० रोड, रायपुर	1. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर 2. विप्र कला-वाणिज्य महा०, वि०वि० के पीछे, रायपुर
शास० डॉ० राधा बाई नवीन कन्या महा०, पुरानीबरती, रायपुर आदर्श कला-वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर	1. शास० महाविद्यालय, शंकरनगर रायपुर 2. प० रामसखा उपाध्याय महा०, रायपुर 3. माँ बंजारी गुरुकुल महा०, रावॉभाठा, रायपुर
रोन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडी, रायपुर	
दिशा महाविद्यालय, न्यू शांतिनगर, रायपुर दुर्गा महाविद्यालय, क००के० रोड, रायपुर	शांति निकेतन महाविद्यालय, रायपुर सौ०कुसुमताई दाबके विधि महा०, रायपुर
गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर कला-वाणिज्य कन्या महा०, देवेंद्रनगर, रायपुर	माता सुंदरी कन्या महा०, रायपुर
महेत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गाँधी चौक, रायपुर	1. अविंगा इफोटेक, बैरनबाजार, रायपुर 2. अग्रसेन महावि०, रायपुर
प० हरिशकर शुक्ल स्मृति महा०, शंकरनगर, रायपुर प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर	
श्रीमती प्रग्नो०दास डागा कन्या महा०, कवहरी चौक, रायपुर महावीर एकाडेमी ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, बस स्टेण्ड, पण्डरी, रायपुर	1. सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर 2. नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महा०, खरोसा 3. विवेकानन्द महाविद्यालय, रायपुर
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जी०ई० रोड, रायपुर केन्द्रीय-जेल, रायपुर (उप केन्द्र)	
शासकीय महाविद्यालय, अभनपुर	
शास० बद्रीप्रसाद कला-वाणिज्य महा०, आरंग शास० डी०वी०डी०के० महा०, बलौदाबाजार	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज
शासकीय कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	
शासकीय जी०एन०ए० महाविद्यालय, भाटापारा	मयूर महाविद्यालय, भाटापारा
शासकीय महाविद्यालय, भटगाँव	
शासकीय महाविद्यालय, बिलाईगढ़	
शासकीय नवीन महाविद्यालय, देवभोग	उदंती महाविद्यालय, देवभोग
शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद	1. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, गरियाबंद 2. गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गरियाबंद
शासकीय दौलतराम शर्मा महा०, कसडोल	
शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा)	1. सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ 2. आर०के०एस० महाविद्यालय, नेवरा-तिल्दा
श्री पैरी गंगा महाविद्यालय, मैनपुर शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मॉढ़र	

केन्द्र का.	परीक्षा केन्द्र का नाम	केन्द्र में सम्बलित अन्य महा. का नाम
145	सेठ फूलबद अग्रवाल सुति महार्जी, नवापारा	
147	शासकीय महाविद्यालय, पलाशी	सर्वहितकारिणी विज्ञान-वाणिज्य महार्जी, कुकदा
148	जैं श्री साहैनाथ महार्जी (धरसीवा)	
149	शासकीय राजीव लोकन महाविद्यालय, राजिम	आर्यभट्ट कला-विज्ञान महार्जी, कोपरा
150	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	
151	शासकीय महाविद्यालय, छुरा	कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा

जिला - महाराष्ट्र

201	शासकीय महाविद्यालय, महाराष्ट्र	1. जयहिन्द महाविद्यालय, महाराष्ट्र 2. शासकीय कन्या महार्जी, महाराष्ट्र 3. यतन माहिला महाविद्यालय, महाराष्ट्र 4. शार्वीताई कला-वाणिज्य महार्जी, महाराष्ट्र
204	शासकीय खेड़ी महाविद्यालय, बागवाहरा	
205	खेड़ी जयदेव सत्पथी शास्त्र महार्जी, वराना	
206	चन्द्रपाल डडसेना शासकीय महार्जी, पिथौरा	
207	रव० राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शास्त्र महार्जी सराईपाली	रामचण्डी महाविद्यालय, सराईपाली

जिला - धमतरी

301	स्व० श्री छोटेलाल श्रीवारतव शासकीय महाविद्यालय, धमतरी	1. जिनेसिस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, धमतरी 2. बन्देमात्रम महार्जी, धमतरी 3. कॉम्पटेक महाविद्यालय, धमतरी 4. प्रज्ञा महाविद्यालय, रत्नाबंधा, धमतरी 5. ए०के०ए० महाविद्यालय, ऐण्डरा 6. विध्यवासिनी महार्जी, सनोद-बोहरा, दुर्ग
302	शासकीय कन्या महाविद्यालय, धमतरी	
303	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा	
304	कला महाविद्यालय, जामगाँव (जी)	
305	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद	
306	गुरुकुल महाविद्यालय, गगरलोड	
307	शासकीय महाविद्यालय, सिहावा (नगरी)	

जिला - दुर्ग

401	शासकीय छी०एन०यादव तामस्कर रनातकोत्तर महाविद्यालय, जी०ई० रोड, दुर्ग	1. भारतीय इर्टीट्यूट ऑफ इंफैशन टेक्ना०, दुर्ग 2. विवेकानंद महार्जी, सेक्टर-८, भिलाई 3. खामी रवरुपानंद शिक्षा संरक्षण, हुडको, भिलाई 4. लंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, दुर्ग
402	शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	
403	जी०एस० आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	
405	सेठ आर०सी०एस० कला-वाणिज्य महार्जी, दुर्ग	1. तक्षशीला महार्जी, दुर्ग 2. सेठ आर०सी०एस० विधि महार्जी, कसारीडीह, दुर्ग
407	शास्त्र महाविद्यालय, अर्जुन्चा	
408	शास्त्र महाविद्यालय, बालोद	
409	शास्त्र प०ज०ला०न०० कला एवं विज्ञान महार्जी, बैमेतरा	
411	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-३	शासकीय महार्जी, थानखम्हरिया, व्हाया-बैमेतरा, दुर्ग उदय महार्जी, भिलाई
412	शासकीय महाविद्यालय, वेशालीनगर	
413	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-९, भिलाई	
414	भिलाई नायर रमाजम् महार्जी, सेक्टर-८, भिलाई	
420	कल्याण कला-वाणिज्य महाविद्यालय, भिलाईनगर	1. राष्ट्रीय एवं वैदेशिक भाषा संरक्षण, भिलाई 2. डॉ०राजेन्द्र प्रसाद कला-वाणिज्य महार्जी, रिसाली, भिलाई 3. कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाईनगर

परीक्षा केन्द्र का नाम	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
जिला - कबीरशाह	<ol style="list-style-type: none"> सप्राट अशोक कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कवर्धा शासकीय महाविद्यालय, बोडला शासकीय नवीन कन्या महा०, कवर्धा

जिला - उत्तर बरतार (काँकेर)
गानुप्रतापदेव शासकीय स्नातक महा०, काँकेर
शासकीय कन्या महाविद्यालय, काँकेर
शासकीय महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
शाराकीय महाविद्यालय, चारामा
शासकीय महाविद्यालय, पखाँजूर
१०० ठाकुर भावसिंह कला-विज्ञान महावि०, नरहरपुर
शासकीय महाविद्यालय, अंतागढ़
शासकीय महाविद्यालय, केशकाल

जिला - मध्य बरतार (जगदलपुर)
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
१. सूर्या महाविद्यालय, जगदलपुर
२. महाराजा प्रवीरचंद महाविद्यालय, जगदलपुर
शासकीय दंतेश्वरी महिला महा०, जगदलपुर
काइस्ट कॉलेज, जगदलपुर
शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागाँव
शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर

जिला - दक्षिण बरतार (दंतेवाड़ा)
शासकीय महाविद्यालय, दंतेवाड़ा
शासकीय महाविद्यालय, भोपालपट्टनम
शासकीय अरविंद महाविद्यालय, किरन्दुल
शासकीय महाविद्यालय, सुकमा
शास० महाविद्यालय, बीजापुर
शासकीय कन्या महाविद्यालय, दंतेवाड़ा

तिथि 31/01/2008

आदेशानुसार,

कुलसमिव

संकेत 08/cenlist08A/p-I-4//

मेरा

1. १२१
मेरा

केन्द्र कं.	परीक्षा केन्द्र का नाम	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
422	एम०जे० कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कोहका-जुनवानी रोड, भिलाई	1. इंदिरा गांधी महिला महा०, भिलाई 2. भिलाई कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, भिलाई 3. जी०डी० रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कुरुद रोड, भिलाई
423	श्री शंकरराचार्य महाविद्यालय, भिलाई	1. छत्तीरागढ़ वाणिज्य-विज्ञान महा०, भिलाई 2. बैलीराम महाविद्यालय, भिलाई 3. साँई महाविद्यालय, सेक्टर-६, भिलाई 4. देव संरकृति महाविद्यालय, सेक्टर-६, भिलाई
424	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर	
426	नागरिक कल्याण महा०, नंदिनीनगर	भोरमदेव कला/वाणिज्य महा०, मुरमुन्दा
431	शासकीय एन०सी०जे० महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	
432	चन्दूलाल चंद्राकर शासो महाविद्यालय, धमधा	
434	संत राजाराम रादाणी नागरिक महा०, डॉडीलोहारा	शासकीय महाविद्यालय, डॉडीलोहारा
435	माता कर्मा कला-वाणिज्य महा०, गुण्डरदेही	शासकीय महाविद्यालय, गुण्डरदेही
436	मौ बहादुर कलारिन कला-विज्ञान महा०, गुरुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरुर
438	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़	
439	शासकीय महाविद्यालय, पाटन	कर्मिता कला-वाणिज्य, विज्ञान महा०, जामगाँव (आर)
440	प० देवीप्रसाद चौबे शासकीय महा०, साजा	
442	शासकीय महाविद्यालय, उत्तई	
443	शासकीय महाविद्यालय, डौंडी	पन्नबाई धनराज जैन कला-वाणिज्य महावि०, न०

जिला - राजनांदगाँव

501	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	1. राजनांदगाँव कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, राजनांदगाँव 2. कान्फ्लुयेन्स कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, राजनांदगाँव 3. सावा इटरनेशनल कॉलेज ऑफ हायर एजु०, राजनांदगाँव 4. एलीगेट महा०, राजनांदगाँव
502	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगाँव	प० कै०एल०एस० विधि महा०, राजनांदगाँव
503	शास० कमलादेवी महिला महा०, राजनांदगाँव	
505	शास० लालचक्कधर शाह महा०, अम्बागढ़ चौकी	
506	वीरांगना अवंतिबाई शास०महा०, छुइखदान	
507	रानी सूर्यमुखी देवी शासकीय महा०, छुरिया	
508	शासकीय महाविद्यालय, डोगरगाँव	
509	शासकीय ज०ला०न० महा०, डोगरगढ़	
510	शासकीय महाविद्यालय, घुमका	
511	रानी रशिम देवी सिंह शास० महा०, खेरागढ़	
512	शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुर नगर	
513	शासकीय महाविद्यालय, मानपुर	शासकीय महाविद्यालय, मोहला
514	वीरांगना रानी अवंतिबाई शास० कला-वाणिज्य महा०, रामाटोला	